



भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अंतर्गत स्थापित)
प्रधान कार्यालय : सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के एकल वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़)

विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
	30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	31.03.2025
	समीक्षित	लेखा परीक्षित	समीक्षित	लेखा परीक्षित
1. अर्जित ब्याज (क)+(ख)+(ग)+(घ)	10,307	9,810	9,155	37,831
(क) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	9,061	8,670	8,021	33,042
(ख) निवेशों पर आय	666	628	586	2,449
(ग) भा.रि.बैंक में अतिशेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	580	512	548	2,340
(घ) अन्य	-	-	-	-
2. अन्य आय	127	169	133	680
3. कुल आय (1+2)	10,434	9,979	9,288	38,511
4. ब्याज व्यय	7,846	7,574	6,832	28,351
5. परिचालन व्यय (i)+(ii)	320	455	278	1,430
(i) कर्मचारी लागत	220	214	177	773
(ii) अन्य परिचालन व्यय	100	241	101	657
6. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय को छोड़कर कुल व्यय (4+5)	8,166	8,029	7,110	29,781
7. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय से पूर्व परिचालन लाभ (3-6)	2,268	1,950	2,178	8,730
8. प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय [पुनरांकन पश्चात् निवल]	(21)	865	2	2,332
9. असाधारण मर्दे	-	-	-	-
10. सामान्य गतिविधियों से कर पूर्व लाभ (+) / हानि (-) (7-8+9)	2,289	1,085	2,176	6,398
11. कर संबंधी व्यय [आस्थगित कर आस्ति/देयता समायोजन पश्चात् निवल]	547	281	541	1,587
12. सामान्य गतिविधियों से कर पश्चात् निवल लाभ (+) / हानि (-) (10-11)	1,742	804	1,635	4,811
13. असाधारण मर्दे (कर व्यय घटाकर)	-	-	-	-
14. अवधि का निवल लाभ (+) / हानि (-) (12-13)	1,742	804	1,635	4,811
15. चुकता ईक्विटी शेयर पूँजी (अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर)	569	569	569	569
16. आरक्षितियाँ पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर	37,250	35,508	32,465	35,508
17. विश्लेषणात्मक अनुपात				
(i) भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत	20.85%	20.85%	20.85%	20.85%
(ii) पूँजी पर्याप्तता अनुपात				
(क) बेसल I	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ख) बेसल III	19.10%	19.62%	19.16%	19.62%
(iii) प्रति शेयर आमदनी (मूल और अवमिश्रित) (ईपीएस)	30.64#	14.14#	28.75#	84.62
(iv) गैर निष्पादक आस्ति अनुपात				
(क) गैर-निष्पादक आस्ति की सकल राशि	312	183	136	183
(ख) गैर-निष्पादक आस्ति की निवल राशि	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) सकल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.07	0.04	0.03	0.04
(घ) निवल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) आस्तियों पर प्रतिफल (कर पश्चात्) (वार्षिकीकृत)	1.23%	0.63%	1.27%	0.89%
(vi) निवल मालियत	34,341	32,330	30,627	32,330
(vii) बकाया मोचनीय अधिमान शेयर	-	-	-	-

(viii) पूंजी मोचन आरक्षिती	-	-	-	-
(ix) डिबेंचर मोचन आरक्षिती	-	-	-	-
(x) परिचालन सीमा	21.74%	19.54%	23.45%	22.67%
(xi) निवल लाभ सीमा	16.70%	8.06%	17.60%	12.49%
(xii) ऋण - ईक्विटी अनुपात *	8.87	9.81	8.65	9.81
(xiii) कुल आस्तियों के लिए कुल ऋण (%) *	53.80	55.83	50.90	55.83

अ-वार्षिकीकृत

* ऋण (जमा को छोड़कर) कुल उधार को दर्शाता है

टिप्पणियाँ:

- 1) बैंक इन वित्तीय परिणामों को तैयार करने में उन्हीं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का अनुपालन कर रहा है, जैसा कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सभी मुख्य मामलों में वार्षिक वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए किया गया था।
- 2) निदेशक मंडल द्वारा 08 अगस्त, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त परिणाम अनुमोदित किए गए हैं।
- 3) 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के आंकड़े वित्त वर्ष 2024-25 के संबंध में लेखा परीक्षित आंकड़ों और 31 दिसंबर, 2024 तक प्रकाशित वर्ष के आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं।
- 4) 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम गैर-निष्पादित आस्तियों, मानक आस्तियों, अचल संपत्तियों पर मूल्यहास, छूट के परिशोधन, निवेश पर आय /बांड जारी करने से संबंधित खर्चों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर निवेश मूल्यहास के प्रावधानों पर विचार करने के उपरांत तैयार किए गए हैं। आयकर, आस्थगित कर और अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान जिनमें कर्मचारी लाभ शामिल हैं, आवश्यकतानुरूप और वर्षांत पर समायोजन के अधीन अनुमानित/आनुपातिक आधार पर किए गए हैं।
- 5) बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित त्वरित प्रावधान नीति के अनुसरण में, आईआरएसी मानदंडों के तहत न्यूनतम निर्धारित दरों से अधिक दरों पर मानक अग्रिमों से संबंधित एक अतिरिक्त प्रावधान किया है। तदनुसार, बैंक ने 30 जून, 2025 तक ₹3,626.38 करोड़ रुपये के मानक अग्रिमों (पुनर्संचित खाते सहित) पर अतिरिक्त प्रावधान अवधारित किए हैं।
- 6) ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 24 सितंबर, 2021 के मास्टर निर्देश के अनुरूप 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान हस्तांतरित/ अधिग्रहित किए गए ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:
ऋणों का हस्तांतरण :
i) हस्तांतरित गैर-निष्पादित आस्तियों के विवरण:

विवरण	(₹ करोड़)		
	आस्ति वसूली कंपनियों को	अनुमन्य हस्तांतरितियों को	अन्य हस्तांतरितियों को
खातों की संख्या	-	-	-
अंतरित ऋणों का सकल मूलधन बकाया	-	-	-
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत शेष अवधि	-	-	-
अंतरित ऋणों का निवल बही-मूल्य (अंतरण के समय)	-	-	-
सकल प्रतिफल	-	-	-
पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों से प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	-	-	-

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान, प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में कोई निवेश नहीं किया गया। धारित सभी प्रतिभूति रसीदों के लिए प्रावधान किए जाते हैं और इसलिए निवल बही मूल्य शून्य है। दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में प्रत्यावर्तित अतिरिक्त प्रावधान शून्य रहे।

ii) बैंक ने किसी भी ऐसे ऋण का हस्तांतरण नहीं किया है, जो चूकग्रस्त / विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) नहीं है।

ऋण का अधिग्रहण :

iii) बैंक ने किसी दबावग्रस्त ऋण का अधिग्रहण नहीं किया है।

iv) समनुदेशन के माध्यम से 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान, अधिगृहीत गैर-चूक संबंधी ऋणों के विवरण निम्नवत हैं:

विवरण	(₹ करोड़)	
	2025-26 (पहली तिमाही)	2024-25
अधिगृहीत ऋणों की सकल राशि (₹ करोड़ में)	250.71	1,157.11
भारित औसत शेष परिपक्वता (माह सं.)	80.15	127.48
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारिता की अवधि (माह सं.)	11.89	10.43
प्रवर्तक द्वारा लाभप्रद आर्थिक हित का प्रतिधारण	18.21%	20%
मूर्त प्रतिभूति कवरेज	183.14%	216.75%
रेटेड ऋणों का रेटिंग-वार वितरण	लागू नहीं	लागू नहीं

7) निवल अनर्जक आस्तियों के परिकलन के लिए चल प्रावधान को विचार में नहीं लिया गया है।

8) पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

9) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 मई, 2019 के पत्र के अनुसार, अगली सूचना तक एआईएफआई के लिए आईएनडी-एस का कार्यान्वयन आस्थगित कर दिया गया है।

- 10) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 19 दिसंबर, 2023 के परिपत्र सं आरबीआई/2023-24/90 डीओआर. एसटीआर. आरईसी.58/21.04.048/2023-24 - वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफआई) में निवेश और उसके पश्चात् दिनांक 27 मार्च, 2024 के परिपत्र सं आरबीआई/2023-24/140 डीओआर. एसटीआर. आरईसी. 85/21.04.048/2023-24 के माध्यम से जारी स्पष्टीकरण के क्रम में बैंक ने तत्संबंधी प्रभाव का आकलन किया है और ऐसे मामलों में 30 जून 2025 तक समाप्त तिमाही के दौरान रु 23 करोड़ के प्रावधान किए हैं।
- 11) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 सितंबर, 2023 के परिपत्र सं आरबीआई/डीओआर/2023-24/105 डीओआर.एफआईएन.आरईसी.40/01.02.000/2023-24 के अनुसार, एआईएफआई को 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही से बेसल III के पूंजी विनियमों के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात और प्रयोज्य स्तंभ 3 के प्रकटीकरण का उल्लेख आवश्यक है। बेसल III के पूंजी विनियमों के अंतर्गत स्तंभ 3 के प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.sidbi.in/listing-disclosure पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन प्रकटीकरणों की सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा नहीं की गई है।
- 12) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उपर्युक्त परिणामों की सीमित समीक्षा की गई है।

निदेशक मंडल के आदेश से

दिनांक : 08 अगस्त, 2025

स्थान : नई दिल्ली

ह/-

[मनोज मित्तल]

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक



- SIDBIOfficial

कृपया हमारी वेबसाइट: www.sidbi.in देखें।



@sidbiofficial